छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./एफ 13–5/2016/20–तीन (1) नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली रायगढ़, सूरजपरु, सरगुजा

विषयः–59 मॉडल स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

----0----

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। मई 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया हैं। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका संचालन डीएव्ही कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था से किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु :–

(क) भवन –

1. अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसका मूल्य रू. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें/ निर्देश जारी करें।
2. विद्यालय एवं मैदान का स्वामित्व छ.ग.शासन के पास ही रहेगा।
3. सभी विद्यालय "जहां है, जैसे हैं" के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
4. विद्यालय में लगने वाला अतिरिक्त फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
5. विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी।
6. अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रदत्त चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भौतिक सत्यापन पश्चात दी जा सकती है।
7. संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

Scanned with CamScanner

2. कक्षा 6वीं अथवा आगे की कक्षाओं में कोई भी नया दाखिला कलेक्टर द्वारा / जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा।
3. अनुबंध के अनुसार संस्था इन विद्यालयों में रिक्त सीटों पर खुली प्रवेश नियम से सीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। सभी कक्षाओं में कुल निर्धारित सीट का 08 प्रतिशत् सीट निःशुल्क होंगे तथा 25 प्रतिशत् सीट RTE Norms के आधार पर भरे जाएंगे। इस प्रकार दो सेक्शन मानते हुए, प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला दे सकते हैं।
4. इनमें से 25 प्रतिशत् ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन आरटीई नार्मस के आधार पर किया गया है, उनके फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत् निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियों को संबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन कराया जाएगा।
5. इस 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।.
6. संस्था द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (दाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संस्था खुले प्रवेश नियम के तहत् सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था ले सकेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की दाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुमति के नही किया जा सकेगा।
7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जब तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी।

(च) अन्य निर्देश –

1. चूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उसकी मान्यता, आदि हेतु शर्तो का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, एवं जिसका उपाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रित अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
3. प्रत्येक विद्यालय को "विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012" का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा ग्रेडेड पैनल्टी एवं टर्मिनेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

Scanned with CamScanner

5. संस्था द्वारा अनुबंध समाप्ति के लिए नोटिस के बाद 01 सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष तक (जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए) स्कूलों का संचालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रभावशील राज्य एवं केन्द्र के कानून, नियम एवं निर्देश तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा निर्धारित अन्य सभी नियम एवं परिनियम लागू होंगे।

संलग्नः— 59 विद्यालयों की सूची।

30/3/16

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र./एफ 13—5/2016/20—तीन (1) नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपिः—

1 निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
3 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4 प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5 मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6 जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी,—बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर—चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपरु, सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला — बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर—चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपरु, सरगुजा को सूचनार्थ।

30/3/16

सचिव
छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner